पंचायत आम चुनाव, 2016

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
**STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR**

## निविदा सूचना

आगामी पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के निमित्त विभिन्न पुस्तक/पुस्तिका यथा—"पीठासीन पदाधिकारियों के लिये मार्गदर्शिका" की लगभग 1,40,000 (एक लाख चालीस हजार) प्रति, "मतगणना अनुदेश पुस्तिका" की लगभग 2,000 (दो हजार) प्रति एवं "प्रेक्षकों के लिए मार्गदर्शिका" की लगभग 2,000(दो हजार), प्रति के मुद्रण हेतु अनुभवी फर्म/प्रेस से मुहरबंद निविदा दिनांक 03.11.2015 को अपराह्न 2 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। विस्तृत जानकारी के लिए आयोग के वेबसाईट sec.bih.nic.in एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार के वेबसाईट prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

**2. सामान्य शर्त्त :–**

(i) "पीठासीन पदाधिकारियों के लिये मार्गदर्शिका" के पृष्ठों की संख्या लगभग 74 (कभर छोड़कर) "मतगणना अनुदेश पुस्तिका" के पृष्ठों की संख्या लगभग 55 (कभर छोड़कर) एवं "प्रेक्षकों के लिए मार्गदर्शिका" के पृष्ठों की संख्या लगभग 12 (कभर छोड़कर) होगी।

(ii) पुस्तक का मुद्रण डिमाई/4 साईज में होगा।

(iii) टेक्सट 70 जी0एस0एम0 क्रीमओव एवं आवरण 130 जी0एस0एम0 पल्प बोर्ड कागज पर एक रंग में मुद्रण कराया जायेगा।

(iv) मुद्रित की जाने वाली पुस्तक का बटर पेपर पर मिरर प्रिंट आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

3. मुद्रित की जाने वाली पुस्तकों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

4. निविदा द्विलिफाफा पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय) के अनुसार प्राप्त की जाएगी।

**5. तकनीकी शर्त्त निम्न है :–**

(i) निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 40,000/– (चालीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के नाम से जमा करना होगा।

(ii) फर्म को बिहार वाणिज्य कर (VAT), सेवा कर एवं आयकर में (PAN NO) निबंधित होने के साथ–साथ अद्यतन कर शोधन प्रमाण–पत्र देना होगा। साथ ही पिछले तीन वर्ष का आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करना होगा।

(iii) फर्म/प्रेस को ऑफसेट प्रेस क्रय संबंधी रसीद संलग्न करना होगा जो निविदादाता के नाम पर होना चाहिए।

(iv) निविदा में सफल निविदादाता को कार्यादेश के 15 दिनों के अन्दर पटना में कार्यालय स्थापित किये जाने का undertaking देना होगा।

(v) फर्म किसी कार्यालय द्वारा काली सूची में नहीं डाली गई हो, इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा।

(vi) उक्त प्रकृति का कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें (यदि कोई हो) (कार्यादेश + भुगतान विवरण)।

(vii) सामग्री की आपूर्ति में विलंब होने पर 1000.00 (एक हजार) रूपये प्रति दिन की दर से कटौती की जाएगी।

(viii) सामग्रियों को स्थल पर आपूर्ति के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं है।

**6. वित्तीय शर्त्त निम्न है :–**

(i) आयोग द्वारा पीठासीन पदाधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका के मुद्रण के लिए अधिकतम दर 17.24 रूपये, मतगणना अनुदेश पुस्तिका के मुद्रण के लिए अधिकतम दर 15.70 रूपये तथा प्रेक्षकों के लिए मार्गदर्शिका के मुद्रण के लिए अधिकतम 4.61 रूपये प्रति पुस्तक निर्धारित की गयी है। उक्त निर्धारित दर से कम दर अंकित करने वाले फर्म/प्रेस के निविदा पर ही विचार किया जायेगा।

(ii) उपरोक्त सभी पुस्तक/पुस्तिकावार दर अंक एवं शब्द दोनों में सभी करों सहित अलग–अलग अंकित करना है।

7. उपरोक्त पुस्तक/पुस्तिका मुद्रित करने हेतु इच्छुक फर्म/प्रेस दिनांक 03.11.2015 को अपराह्न 2.00 बजे तक मुद्रित की जाने वाली पुस्तिका का दर अंकित करते हुये कागज के नमूने की प्रति के साथ सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के यहां निविदा दाखिल कर सकते हैं।

8. निविदा दिनांक 03.11.2015 को ही अपराह्न 3.00 बजे सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। निविदा खोले जाने के समय निविदाकर्त्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

9. **चयनित फर्म/प्रेस को दिनांक 31.12.2015 तक मुद्रित पुस्तिका की आपूर्त्ति 7, क्रांति मार्ग स्थित राज्य निर्वाचन आयोग के भंडार में करना होगा। उसके लिये अलग से कोई शुल्क का भुगतान नहीं किया जायेगा।** निर्धारित समय पर पुस्तिका की आपूर्त्ति नहीं किये जाने पर आदेश को रद्द कर दिया जायेगा तथा कार्य समय पर पूरा नहीं करने के एवज में अन्य वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। मुद्रण की गुणवत्ता में कमी होने पर भी फर्म/प्रेस के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

10. राज्य निर्वाचन आयोग को किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार होगा।

**राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार के आदेश से**

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार।

Comp.3 E:\uktusar\General Election 16\Letter Gen. Ele. 2016.doc 6